न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री सुरेन्द्र कुमार सोलंकी, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 6/2019

प्रार्थी

सरकार जरिए थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम

बनाम

अप्रार्थी

श्री पप्पूराम पुत्र श्री बीडदाराम जाति विश्नोई निवासी कुशलावा, जिला–जोधपुर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. श्रीमती निलीमा शर्मा, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही।
2. अप्रार्थी स्वयं।

निर्णय

दिनांक 10.4.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 11.09.2017 को उप अधीक्षक पुलिस, सिरोही के नेतृत्व में थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम द्वारा अप्रार्थी के जम्भसरोवर होटल पर जॉच करने पहुॅचने पर होटल के पीछे होटल परिसर की तलाशी लेने पर एक व्यक्ति होटल पर आने वाले टेंकरो से चोरी कर डीजल सस्ते भाव में खरीद कर कुछ मुनाफा लेकर बाजार भाव से सस्ते भाव में डीजल विक्रय कर रहा था। जिस पर मय जाब्ता के पुलिस होटल अशोका के पीछे परिसर में पहुंची सादा वस्त्रधारी श्री जितेन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक को जरिये फर्द मामूर कर 500 रूपये का 1 नोट जिसका नम्बर 5HM 724622 पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा लघु हस्ताक्षर किये गये एवं डीजल विक्रय के लिये अप्रार्थी से बात की तो अप्रार्थीगण द्वारा बताया कि उसको टेंकरो से डीजल निकालकर विक्रय करने के लिये छपरेनुमा कमरे के अंदर जमीन में खड्डा खोदकर ड्रम रखा हुआ है एवं उस पर किप व पम्प लगा हुआ पाया गया । परिसर की तलाशी लेने पर मौके पर प्लास्टिक के दो ड्रम में डीजल 204 लीटर एक प्लास्टिक का जरीकन जिसमें 35 लीटर पेट्रोल पाया गया दोनो ड्रम मे कुल 204 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया । इनके पास कोई अनुज्ञापत्र या भंडारण करने संबंधी दस्तावेज नही पाये गये। जिस पर पुलिस द्वारा कब्जे सरकार लिया जाकर नमूना सैम्पल 8 बोतलों में कमशः ए–1 से ए–2, बी–1 से बी–2, सी–1 से सी–2 एवं डी–1 से डी–2 लिया गया पुलिस द्वारा यह प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कब्जे लिये गये पेट्रोल, डीजल व अन्य सामग्री को समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned by CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी द्वारा उपस्थिति दी गई। जवाब पेश नही किया गया।

प्रार्थी की ओर से श्रीमती निलीमा शर्मा, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई । प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा जम्भसरोवर होटल पर जॉच करने पहुँचने पर होटल के पीछे होटल परिसर की तलाशी लेने पर एक व्यक्ति होटल पर आने वाले टेंकरो से चोरी कर डीजल सस्ते भाव में खरीद कर कुछ मुनाफा लेकर बाजार भाव से सस्ते भाव में डीजल विक्रय कर रहा था। जिस पर मय जाब्ता के पुलिस होटल अशोका के पीछे परिसर में पहुंची सादा वस्त्रधारी श्री जितेन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक को जरिये फर्द मामूर कर 500 रूपये का 1 नोट जिसका नम्बर 5HM 724622 पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा लघु हस्ताक्षर किये गये एवं डीजल विक्रय के लिये अप्रार्थी से बात की तो अप्रार्थीगण द्वारा बताया कि उसको टेंकरो से डीजल निकालकर विक्रय करने के लिये छपरेनुमा कमरे के अंदर जमीन में खड्डा खोदकर ड्रम रखा हुआ है एवं उस पर किप व पम्प लगा हुआ पाया गया । परिसर की तलाशी लेने पर मौके पर प्लास्टिक के दो ड्रम में डीजल 204 लीटर एक प्लास्टिक का जरीकन जिसमें 35 लीटर पेट्रोल पाया गया दोनो ड्रम मे कुल 204 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया । इनके पास कोई अनुज्ञापत्र या भंडारण करने संबंधी दस्तावेज नही पाये गये। अवैद्य रूप से डीजल का भंडारण करना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। इनके पास कोई अनुज्ञापत्र या भंडारण करने संबंधी दस्तावेज नही पाये गये। अवैद्य भंडारण करने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है।

जो राजस्थान पेट्रोलियम उत्पादन (अनुशासन व नियंत्रण) आदेश 1990 की क्लॉज 15 का स्पष्ट उल्लंघन किया है । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है । अतः कब्जे सरकार लिये गये पेट्रोल डिजल एवं अन्य सामग्री को जब्त सरकार किया जावे । अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को गलत बताते हुए खारिज करने का निवेदन करते हुए डिजल एवं अन्य सामग्री वापस दिलवाये जाने का निवेदन किया ।

मैनें दोनो पक्षो की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के जम्भसरोवर होटल पर जॉच करने पहुँचने पर होटल के पीछे होटल परिसर की तलाशी लेने पर एक व्यक्ति होटल पर आने वाले टेंकरो से चोरी कर डीजल सस्ते भाव में खरीद कर कुछ मुनाफा लेकर बाजार भाव से सस्ते भाव में डीजल विक्रय कर रहा था। जिस पर मय जाब्ता के पुलिस होटल अशोका के पीछे परिसर में पहुंची सादा वस्त्रधारी श्री जितेन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक को जरिये फर्द मामूर कर 500 रूपये का 1 नोट जिसका नम्बर 5HM 724622 पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा लघु हस्ताक्षर किये गये एवं डीजल विक्रय के लिये अप्रार्थी से बात की तो अप्रार्थीगण द्वारा बताया कि उसको टेंकरो से डीजल निकालकर विक्रय करने के लिये छपरेनुमा कमरे के अंदर जमीन में खड्डा खोदकर ड्रम रखा हुआ है एवं उस पर किप व पम्प लगा हुआ पाया गया । परिसर की तलाशी लेने पर मौके पर प्लास्टिक के दो ड्रम में डीजल 204 लीटर एक प्लास्टिक का जरीकन जिसमें 35 लीटर पेट्रोल पाया गया दोनो ड्रम मे कुल 204 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया । इनके पास कोई अनुज्ञापत्र या भंडारण करने संबंधी दस्तावेज नही पाये गये।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned by CamScanner

अवैद्य रूप से पेट्रोल एवं डीजल का भंडारण करना राजस्थान पेट्रोलियम उत्पादन (अनुशासन व नियंत्रण) आदेश 1990 की क्लॉज 15 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। अतः प्लास्टिक के 2 ड्रम में भरा हुआ डीजल कुल 204 लीटर एवं 1 प्लास्टिक के जरीकन में कुल 33 लीटर पेट्रोल व एक लोहे कर किमा, 20 लीटर का खाली जरीकन , 2 लीटर प्लास्टिक का डिब्बा एवं डेकोय द्वारा दिया गया 500 रूपयें का नोट जो कब्जे सरकार लिये गये को जब्त सरकार किया जाना विधि सम्मत पाये जाने से कब्जे सरकार लिये गये पेट्रोल एवं डीजल एवं अन्य सामग्री को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है । जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिये गये प्लास्टिक के 2 ड्रम में भरा हुआ डीजल कुल 204 लीटर एवं 1 प्लास्टिक के जरीकन में कुल 33 लीटर पेट्रोल अनुज्ञाधारी पेट्रोल पंप मालिक को वर्तमान कम्पनी दर पर सुपुर्द करें व एक लोहे का किमा, 20 लीटर का खाली जरीकन , 2 लीटर प्लास्टिक का डिब्बा व अन्य सामग्री को नीलाम कर उससे प्राप्त राशि उचित लेखा मद में राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करे ।

निर्णय आज दिनांक 10.4.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(सुरेन्द्र कुमार सोलंकी)
जिला कलक्टर, सिरोही

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

Scanned by CamScanner